फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा

श्री संवरदास पेशाब नाम ओम प्रकाश S/o लालचन्द महावर

धारा 111-128 किस्म प्रार्थना पत्र

प्र०सं० 1/18

1/18 बाद जॉच ~~वाद~~/प्रार्थनापत्र/~~अपील~~ प्रस्तुत हुई, जिसका प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर विधिवत प्रकियानुसार विपक्षीगणों/अप्रार्थीगणों को जरिये तलवाना तलबी हो पत्रावली वास्ते सुनवायी हेतु दिनांक 19/01/18 को पेश हों।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

19-1-18 पत्रावली पेश हुई। हस्तीम प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण के कमन कार तामिल प्राप्त हुये। किसी तामिल पत्रावली वापस आई। विपक्षीगण उपस्थित नहीं। विपक्षीगण को कितनी ही मर्तबा विधिवत आवाजे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते है हस्तीम प्रार्थी ने बहस करनी चाही। हस्तीम प्रार्थी की बहस सुनी गयी हस्तीम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 L.R Act का स्वीकार किया गया। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर तामिल पत्रावली किया गया। निर्णय की प्रतिलिपि हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार भीलवाड़ा को भिजवाने हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दफ्तर दाखिल हो लिखा जावे।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner